

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या-1071/2012/जयपुर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,  
विशेष वृत-पंचम, जयपुर

....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स रामजीवन कैलाश चन्द  
जयपुर

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ  
श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित : :

श्री एन.के.बैद,  
उप राजकीय अभिभाषक  
श्री अलकेश शर्मा  
अभिभाषक

.....अपीलार्थी राजस्व की ओर से

प्रत्यर्थी की ओर से  
निर्णय दिनांक :28.04.2017

निर्णय

अपीलार्थी-विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स)प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 120/आरवैट/एपीपी-1/जी/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 15.11.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा मैसर्स शंकर ट्रेडिंग कम्पनी, 6/42, विद्याधर नगर, जयपुर से दिनांक 11.04.2006 से 12.04.2006 तक रु. 2,87,351/- का माल क्रय किया गया। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्रथम तिमाही बिक्री विवरण प्रपत्र वैट-10 की खरीद पर चुकाये गये वैट रु. 11,984/- का इनपुट क्रेडिट टैक्स क्लेम किया गया। सहायक आयुक्त आयुक्त, वाणिज्यिक कर, वृत-जी,जयपुर (जिसे आगे सशक्त अधिकारी कहा जायेगा) द्वारा उक्त क्लेम इस आधार पर अस्वीकार किया गया कि सशक्त अधिकारी द्वारा मैसर्स शंकर ट्रेडिंग कम्पनी, 6/42, विद्याधर नगर, जयपुर का टिन का पंजीयन दिनांक 01.04.2006 से निरस्त किया जा चुका है। सशक्त अधिकारी ने प्रत्यर्थी व्यवहारी को नोटिस जारी किया गया कि क्यों न इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम को रिवर्स करते हुए नियमानुसार राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 61(2)(ए) के अन्तर्गत शास्ति एवं अधिनियम की धारा 55 के अन्तर्गत ब्याज आरोपित किया जाये। उक्त नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से किसी के भी उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 16.02.2008 को एकतरफा आदेश पारित करते हुए उक्त खरीद पर चुकाये गये वैट का आई टी सी का क्लेम अस्वीकार करते



हुए रु 48,908/-की मांग सृजित की गई है। उक्त सृजित मांग से असन्तुष्ट होकर प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उन्होंने अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए प्रकरण प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये कि गहन जांच करके प्राथमिक साक्ष्य एकत्रित करें व तत्पश्चात संव्यवहार की सत्यता जांचने के बाद नियमानुसार टैक्स रिवर्स करने व शास्ति आरोपित करने की कार्यवाही करे। उक्त प्रकार से प्रतिप्रेषित आदेश से क्षुब्ध होकर विभाग की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक का कथन है कि अपीलीय अधिकारी का अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.11.2011 प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के विरुद्ध होने से अपास्त योग्य है। उनका कथन है कि जब विक्रेता व्यवहारी का टिन का पंजीयन निरस्त कर दिया गया है तब आई टी सी देय नहीं होने से खरीदे गये माल पर अधिनियम की धारा 61(2) (ए) के अन्तर्गत शास्ति रु. 45,976/- व ब्याज रु. 511/- कुल रु 48,908/-की मांग सृजित की गई, जो पूर्णतः उचित है। उनका कथन है कि अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों की अनदेखी करते हुए प्रकरण पुनः संव्यवहारों की जांच कर नियमानुसार टैक्स रिवर्स करने व शास्ति आरोपित करने की कार्यवाही करने हेतु प्रतिप्रेषित किया है, जो अनुचित है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर अपीलाधीन आदेश को अपास्त कर विभाग की अपील स्वीकार करने का निवेदन किया है।

प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से कथन किया गया है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा मैसर्स शंकर ट्रेडिंग कम्पनी, 6/42, विद्याधर नगर, जयपुर से दिनांक 11.04.2006 से 12.04.2006 तक रु. 2,87,351/- का माल क्रय किया गया और उक्त अवधि का त्रैमासिक विवरण पत्र उक्त व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जिसकी छाया प्रति विभाग के समक्ष प्रस्तुत की गई थी, जिससे प्रमाणित होता है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा की गई खरीद के समय तक उक्त फर्म विभाग में पंजीकृत थी। उनका कथन है कि उक्त अवधि के बाद पंजीयन निरस्त किये जाने की जानकारी प्रत्यर्थी को नहीं थी अतः भूतलक्षी प्रभाव से पंजीयन निरस्त कर दिए जाने के कारण सशक्त अधिकारी ने आई टी सी रिवर्स करते हुए मांग सृजित करना अविधिक है। उनका कथन है कि अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए पुनः संव्यवहारों की जांच कर नियमानुसार टैक्स रिवर्स करने व शास्ति आरोपित करने की कार्यवाही करने हेतु प्रतिप्रेषित किया है, जिसमें कोई अविधिकता नहीं है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर विभाग की ओर से प्रस्तुत की गई अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।





उभय पक्षों की बहस सुनी गयी तथा उपलब रिकार्ड एवं अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया गया। सशक्त अधिकारी ने प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा मैसर्स शंकर ट्रेडिंग कम्पनी, 6/42, विद्याधर नगर, जयपुर से दिनांक 11.04.2006 से 12.04.2006 तक रू. 2,87,351/- का माल क्रय किया गया। उसके द्वारा प्रथम तिमाही बिक्री विवरण प्रपत्र वैट-10 की खरीद पर चुकाये गये वैट रू. 11,984/- का इनपुट क्रेडिट टैक्स क्लेम किया गया, जिसको गलत रूप से क्लेम किया जाना मानते हुए अधिनियम की धारा 61(2)(ए) कके अन्तर्गत आई टी सी क्लेम का चार गुना अर्थात रू. 45,976/- तथा उस पर ब्याज रू. 511/- कुल रू.48,908/-की मांग सशक्त अधिकारी द्वारा सृजित की गई है।

विक्रेता द्वारा वसूल किया गया कर जमा कराने पर ही क्रेता व्यवसायी को इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ देय है। इस सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 18 (2) को उद्धरित किया जाना समीचीन है :-

**18. Input Tax Credit. - "(2) The claim of input tax credit shall be allowed on the tax deposited on the basis of original VAT invoice within three months from the date of issuance of such invoice. However, claim of input tax credit of the additional tax deposited may be allowed on the basis of VAT invoice which has been issued subsequently in compliance with the decision of any competent court or authority, showing the tax at higher rate. If the first original VAT invoice is lost, input tax credit may be allowed on the basis of a duplicate copy thereof, subject to such conditions as may be prescribed."**

उपरोक्त उद्धरित अधिनियम की धारा 18(2) के पठन से स्पष्ट है कि विक्रेता द्वारा कर जमा कराने पर ही क्रेता व्यवहारी को आई टी सी देय है। हस्तगत प्रकरण में विक्रेता व्यवहारी द्वारा क्रेता व्यवहारी से लिया गया कर जमा कराया गया है या नहीं, यह जांच के पश्चात ही पता चलेगा।


अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील सुनवाई के समय प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से बताया गया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा मैसर्स शंकर ट्रेडिंग कम्पनी, 6/42, विद्याधर नगर, जयपुर से दिनांक 11.04.2006 से 12.04.2006 तक रू. 2,87,351/- का माल क्रय किया गया और उक्त अवधि का त्रैमासिक विवरण पत्र उक्त व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जिसकी छाया प्रति प्राप्त विभाग के समक्ष प्रस्तुत की गई थी, जिससे प्रमाणित होता है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी की गई खरीद के समय तक उक्त फर्म विभाग में पंजीकृत थी, उक्त अवधि के बाद पंजीयन निरस्त किये जाने की जानकारी प्रत्यर्थी को नहीं थी अतः भूतलक्षी प्रभाव से पंजीयन निरस्त कर दिए जाने के कारण सशक्त अधिकारी ने आई टी सी रिवर्स करते हुए मांग सृजित करना अविधिक है। उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्रकरण से सम्बन्धित तथ्यों का विस्तृत विवेचन करने के पश्चात अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये हैं कि सशक्त अधिकारी सर्व प्रथम विवेचित तथ्यों के अनुसरण में गहन जांच



करके प्राथमिक साक्ष्य एकत्रित करे व तत्पश्चात संव्यवहार की सत्यता जांचने के बाद नियमानुसार टैक्स रिवर्स करने व शास्ति आरोपित करने की कार्यवाही करें। उक्त निर्देशों के साथ प्रकरण प्रतिप्रेषित करने में किसी प्रकार की अविधिकता नजर नहीं आती है ।

अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण के तथ्यों का समग्र रूप से विवेचन करने के पश्चात सशक्त अधिकारी को प्रकरण प्रतिप्रेषित किये जाने में किसी प्रकार की अविधिकता नजर नहीं आती है, जिसको ध्यान में रखते हुए विभाग की ओर से प्रस्तुत अपील अस्वीकार कर अपीलाधीन आदेश की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

  
( खेमराज )  
अध्यक्ष